दिनांक 12.10.2022 को मै0 गुरूनानक इण्टरप्राईजेज द्वारा प्रस्तावित रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान(क्षेत्रफल–12.59 है0) हेतु आवेदित पर्यावरण स्वीकृति आवेदन के कम में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री गुरूनानक स्टोन इण्टरप्राईजेज, द्वारा ग्राम–उकरौली व मेरावराना, त0–सितारगंज, उधमसिंहनगर में रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान(क्षेत्रफल–12.59 है0) प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की श्रेणी में आच्छादित है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई आयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लोक सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्रों ''दैनिक जागरण''(उत्तराखण्ड संस्करण) व ''टाईम्स ऑफ इण्डिया'' (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 08.09.2022 के अंकों में जन सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। उक्त जन सुनवाई हेतु जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के आदेश दिनांक 06.10.2022 द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता किये जाने हेतु श्री तुषार सैनी, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, उधमसिंनगर को नामित किया गया था।

इसी कम में दिनांक 12.10.2022 को प्रातः 11:00 बजे प्रस्तावित परिसर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक–1)।

सर्वप्रथम श्री सुनील कुमार, सहा0 पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा पैनल अध्यक्ष की अनुमति से जन समुदाय का स्वागत करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उनके द्वारा उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया गया कि पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुने तथा इसके पश्चात परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की टीका–टिप्पणी, आपत्ति, सुझाव आदि लिखित व मौखिक रूप पैनल को अवगत करायें। इसके पश्चात उनके द्वारा उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार से विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण देने को कहा गया। इसी अनुक्रम में परामर्शी संस्था द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट पर परियोजना के प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात पैनल अध्यक्ष द्वारा उपस्थित जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियां रखने को कहा। उनके द्वारा ग्राम प्रधान की उपस्थिति के बारे में पृक्षा की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि सब लोग अपनी बात रखें। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, के श्री सुनील कुमार, सहा0 पर्यावरण अभियन्ता द्वारा भी परियोजना के सम्बन्ध में सभा मे उपस्थित जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियां लिखित व मौखिक रूप से आमंत्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा निम्नानुसार सूझाव एवं आपत्तियां दर्ज की गयी–

1. **श्री राम कुमार, ग्राम–उकरौली**– इनके द्वारा सभा में उपस्थित सभी अधिकारियों व स्थानीय लोगों का स्वागत किया गया। इनके द्वारा कहा गया प्रथमतया खनन कार्य आबादी से हटकर होना चाहिए। खनन कार्य से जनजीवन प्रभावित होता है। पूर्व में जो खनन कार्य हुए हैं वे मानको के आधार पर नहीं हुए है। पूर्व में जो खनन कार्य हुआ है उससे नदियों में कटाव बढ जाता है। 2004 में कटाव होने से बाढ आने का स्तर काफी बढ़ गया था, जिससे बाढ में लगभग 37 लोग बहे थे, जिनमे से 07 लोगों की मृत्यु हो गयी थी। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन कार्य होने से उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। खनन कार्य से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। किन्तु खनन कार्य मानको के आधार पर होना चाहिए। सी.एस.आर. में जो धनराशि होती है उसे खर्च नहीं किया जाता है। उनके द्वारा सी.एस.आर. की धनराशि को ठीक जगह खर्च करने की बात कही तथा साथ ही सड़कों का निर्माण लोडिंग के अनुसार करने की बात कही। उनके द्वारा कहा गया कि यदि मानको के आधार पर कार्य होता है तो वे खनन कार्य में सहयोग करेंगे।

2. **श्री मदनलाल, पूर्व ग्राम–प्रधान, ग्राम–उकरौली**–इनके द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोग जमीनों से ही जीवन व्यापन करते हैं। उनके द्वारा प्रथमतया स्थानीय लोगो को खनन करने तथा रोज़गार में प्राथिमकता देने की बात कही। उनके द्वारा पट्टाधारको से अनुरोध किया गया कि जो बाढ आने से बच्चे, स्थानीय लोगों का परिवार पीड़ित होता है, उनकी सहायता/ध्यान देने की बात कही। उनके द्वारा खनन कार्य मानको के अनुसार किये जाने उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य से मार्ग बाधित रहते हैं। स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। उनके द्वारा उक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन कार्य मानको के अनुसार किया जायेगा तो उन्हे प्रस्तातिव परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।

3. **श्री चन्द्रशेखर, ग्राम–उकरौली**–इनके द्वारा खनन कार्य मानको के आधार पर करने की बात कही। पूर्व में जो खनन कार्य हुए हैं, उनके द्वारा मानको का दुरूपायोग किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन कार्य मानको के आधार पर नहीं किया जायेगा, तो उनके द्वारा अन्य रास्ते अपनाने पड़ेगें। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में खनन कार्य 10–10 फिट की गहराई तक किया जाता रहा है। नदियों के बीच में बसे गांव के लोगों आवागमन में असुविधा होती है। उनके द्वारा खनन कार्य पर स्थानीय लोगो की सहमति से होने की बात कही। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य इस प्रकार किया जाये, जिससे किसानों की जमीनों को नुकशान न हो।

4. **श्री मनदीप सिंह, ग्राम–उकरौली**–इनके द्वारा कहा गया कि स्वाभाविक है कि यदि कार्य मानको के अनुसार नहीं होता, तो स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। खनन कार्य से मार्गो में काफी गढ्ढे हो जाते हैं, जिन्हे भरा नहीं जाता है। उनके द्वारा कहा गया कि गढ्ढों को ग्रामीणों के वाहन द्वारा भरा जाता है। खनन कार्य से राजस्व सरकार को जाता है, किन्तु सड़को आदि हेतु के निर्माण हेतु किसी प्रकार का फण्ड प्राप्त नहीं होता है। उनके द्वारा भी खनन कार्य मानको के आधार पर किये जाने की बात कही।

5. **श्री राजवीर सिंह, ग्राम–उकरौली–** इनके द्वारा बताया गया कि उक्त खनन कार्य सिडकुल की ओर किया जा रहा है। उनके द्वारा भी सड़कों की समस्या के बारे में बात की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व से ही 02 खनन पट्टे संचालित है व इसके अतिरिक्त 02 अन्य पट्टे आने हैं तो ट्रैफिक होना स्वाभाविक है तथा सड़को को भी नुकशान होगा। उनके द्वारा पट्टाधारको से सड़कों को ठीक करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जो पूर्व में नदी कटाव हुए हैं उसके लिए हम स्थानीय लोग भी जिम्मेदार है। हम लोग भी नदी के किनारे कच्ची जमीन से रेता निकालते है। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2004 में जब बाढ में जो लोग 30–35 लोग बहे थे, वे लोग अपनी गलती से बहे थे। उनके द्वारा रात को अवैद्य खनन किया जा रहा था। उनके द्वारा पट्टाधारक से अनुरोध किया गया कि खनन कार्य हेत सीमांकन के जो पीलर लगाये जाते है उन्हे मजबूत लगाये, जिससे वाहन स्वामी उन्हे आगे–पीछे न कर सके। उनके द्वारा कहा गया कि हम स्थानीय लोग ही थोड़े लालच के लिए उन सीमांकन पीलरों को खुद ही हटा देते है।

6. **श्री गुरविन्दर सिंह, ग्राम–उकरौली**–इनके द्वारा कहा गया कि वे पट्टाधारक को सहयोग देने को तैयार है। यदि सड़कों के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार यथा जे.सी.बी. इत्यादि का आवश्यक्ता होगी तो वे देंगे।

पैनल अध्यक्ष द्वारा पट्टाधरको से कहा गया कि सीमांकन हेतु जो पीलर लगाये जाते है, वे दो दिन कार्य के पश्चात नहीं दिखतें हैं। उनके द्वारा पट्टाधरको को निर्देश दिये गये कि खनन क्षेत्र में पीलर की स्थापना ऊँचाई में व मजबूती से करें, जिससे पीलर दूर से ही दिख जायें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कहा गया कि बाढ आने से पूर्व नदी के किनारें कट्टे लगाये जायें। इस कार्य हेतु उनके द्वारा ग्रामीणों से भी सहयोग किये जाने की बात कही। उनके द्वारा खनन के वाहनों को सीधे मन्दिर मार्ग से किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन लोगों द्वारा मार्ग में अतिक्रमण किया गया है वे उसे हटा दे।

पैनल अध्यक्ष द्वारा पट्टाधारक को निर्देश दिये गये कि खनन कार्य करते समय एक टीम का गठन किया जाये, जो वाहनों को कन्ट्रोल करेगी। उनके द्वारा स्थानीय लोगों, बी.डी.सी सदस्य एवं जन सुनवाई में उपस्थिति लोगों से आपदा नियंत्रण के आपन सहयोग करने की बात कही गयी। उनके द्वारा स्थानीय लोगों से कहा गया खनन कार्य को नकारात्मक रूप से न देखें। यह स्थानीय लोगों को एक मात्र रोजगार का साधन है। उनके द्वारा स्थानीय लोगों से सहयोग करने की बात कहीं एवं यदि खनन कार्य गलत तरीक के होता है, तो आप लोग उसे देखें।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य से पुनः आग्रह किया कि यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में देनी हैं तो वे लिखित रूप से भी अपनी आपत्ति/सुझाव पैनल को दर्ज करा सकते हैं, जिसको कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा।

अन्त में पैनल अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया। लोक सनुवाई की प्रकिया की वीडियो रिकार्डिंग व फोटाग्राफी भी करायी गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री चन्द्रेशखर आदि, ग्राम–उकरौली त0–सितारगंज, का लिखित पत्र प्राप्त हुआ है। जो कि संलग्न है।

(सुनील कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर

(तुषार सैनी)
उप जिलाधिकारी, सितारगंज
उधमसिंहनगर।

में रेता, बजरी, बोल्डर खनन चुगान से संबंधित- ग्राम के लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण

स्थान → ग्राम - उकरौली व मेरावराना

दिनांक - 12/10/2022
समय - प्रातः 11:00 बजे

क्रम सं०	नाम व पता - ग्राम का नाम		मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	तुषार सैनी	(SDM Sitarganj)	9456500033	
2	सुनील कुमार आर्या	सहा० अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।	9410210552	
3	[illegible]		9917382971	
4	गोपाल सिंह		9639618992	
5	[illegible]	ग्राम उकरौली	9837860409	
6	रामकुमार		9997306229	
7	मदनलाल पूर्व प्रधान - उकरौली		8899956666	
8	चन्द्रशेखर सिंह	उकरौली	8958524254	
9	बलवीर सिंह	उकरौली	9927077343	
10	दिनेश राम	उकरौली		
11	चन्द्र प्रताप सिंह	उकरौली	8477089170	

क्रमांक	नाम व पता ग्राम का नाम	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
		9634681299	
12	[illegible]		
13	रामलाल		
14		8938040301	
15.	राजेन्द्र	8279654208	
16	ईश्वर राम	8954280253	
17.	लोकेश कुमार	9760780461	
18.	Rati Bhan Singh	9870705320	
19	Shivam Charma	9716010333	
20	Narendra	9915701694	
21	[illegible]	8909304228	
22	[illegible]	8057010228	
23	Lavish Kumar		
24	Jagtar singh	9617778304	K.Singh
25	Khoob Singh		

क्रमसं०	नाम व पता - ग्राम का नाम		मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
26	[illegible]	उकरौली	8006145880	[illegible]
27	प्रकाश	उकरौली	8630996278	प्रकाश
	~~शंकर~~		~~7352841682~~	
28	शंकर		7252841682	शंकर
29	जगदीश		8449446763	जगदीश
30	~~[illegible]~~		9057124351	[illegible]
31	सलीम		9758068786	[illegible]
32	आदीश चक्रवर्ती	उकरौली	8744065130	[illegible]
33	तरुण कुमार	उकरौली	8009709976	[illegible]
34	दीपक सिंह	उकरौली	8475951638	
35	गोपाल सिंह	उकरौली	8279334359	[illegible]
36	सुरेश जोशी	उकरौली	8006089169	[illegible]
37	सुनील सिंह	उकरौली	9557411466	[illegible]
38	राजेश कुमार	उकरौली	9057935725	[illegible]
39	शेर सिंह	उकरौली	9996660478	[illegible]

	नाम व पता - ग्राम का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
40	सुमित उकरौली Sumit	6397348111	
41	सोनू यादव उकरौली	8126840365	
42	जीवन सिंह पहाड़ी उकरौली	9411170203	
43	—	9627220309	
44	मनोज कुमार —	8859788211	
45	Pankaj Kumar —	8979007994	
46	Mukesh Kumar —	8057296085	
47	अजीत कुमार	8486723408	
48	वीर बहादुर —	7409145912	
49	Rakesh kumar	8192914648	
50	Pankaj	8588860406	
51	[illegible]	6395644522	
52	Amanjeet Singh	8755000000	
53	Jitendra UK	7248202866	
54	Gurpinder Singh	9690000097	
55	[illegible]	9761661605	

56	Vipin Baliyan	8937003331	VB	
57	Akhil Kumar	8950851624	Environment Consultant	Akhil
58	Bharat Singh	8299472841	Haldwani	
59	mandeep	9897878679	Haldwani	
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				